26/12/25

पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई। उभ॰ पक्ष॰ उप॰।
वार वारी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत रिपोर्ट
अलग से लिखवाना जाकर शामिल किया जावे।
टीपी जारी हो। नकल दी जावे हो।
आदेश मुताबिक जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/206

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 104/25 **GCMS -2025/206** दायर दिनांक 15—04—2025

रामकुमार पुत्र श्री रोशनलाल उर्फ बीरबल जाति कुम्हार साकिन संगरिया हाल निवास सलेमगढ तहसील बालसमन्द जिला हिसार हरियाणा ———— वादी

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

——— प्रतिवादी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :—

1— रामनारायण जालप अभिभाषक वादी

2— पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

—:— निर्णय —:— दिनांक :— 26.12.2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद—पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 2 डी ओ बी पटवार हल्का भोपालपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 34/29 के प0न0 24/13 मु0न0 24 के किला न0 14 ता 18/1.265 है0 22/1 में 0.025 है0 खाला, 22/3 में 0.203 है0 क0, 23/1 में 0.228 है0 क0, 24/1 में 0.228 है0 क0 = 1.949 है0 कमाण्ड मय खाला , प0न0 24/20 मु0न0 8 के किला न0 19—21/0.506 है0 , प0न0 24/21 मु0न0 25 के किला न0 6—7/0.506 है0 कुल 2.961 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में 269/987 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 2 डी ओ बी पटवार हल्का भोपालपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 35/30 के प0न0 24/12 मु0न0 9 के किला न0 24/0.253 है0 , 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 खाला = 0.506 है0 कमाण्ड मय खाला , प0न0 24/13 मु0न0 24 केकिला न0 2 ता 9, 12—13/2.530 है0 क0, प0न0 24/12 मु0न0 27 के किला न0 3/0.253 है0 क0, प0न0 24/21 मु0न0 25 के किला न0 1/0.253 है0 क0 कुल 3.542 हे0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में 482/1771 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। जैरवाद रकबा मे वादी का नाम रामकुमार पुत्र श्री रोशनलाल साकिन संगरिया दर्ज है। जबकि सरकारी रिकार्ड में जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन आयेग द्वारा जारी पहचान—पत्र में वादी का नाम रामकुमार पुत्र बीरबल निवासी सलेमगढ तहसील बालसमन्द जिला हिसार हरियाणा अंकित है। जिससे यह साबित है कि वादी के पिता को दो नाम से पुकारा जाता है। इसलिए भी वादी का नाम रामकुमार पुत्र श्री रोशनलाल साकिन संगरिया से रामकुमार पुत्र श्री रोशनलाल उर्फ बीरबल साकिन संगरिया हाल सलेमगढ तहसील बालसमन्द जिला हिसार हरियाणा करवाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। वादी के नाम भिन्न—भिन्न होने यानि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रामकुमार पुत्र श्री रोशनलाल साकिन संगरिया व अन्य दस्तावैजो में अलग नाम रामकुमार पुत्र बीरबल साकिन सलेमगढ तहसील बालसमन्द जिला हिसार हरियाणा होने से भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है । चूकि बैंक से ऋण , टयुबैल विधुत कनेक्शन, , पीएम किसान निधि , सहकारी समिति से सरकारी सहायतार्थ बीज आदि प्राप्त करने व फसल ऑन लाईन बेचान करने पर जमाबन्दी व अन्य दस्तावैजो में नामों में भिन्नता होने से वादी किसी प्रकार से कोई [illegible] आदि प्राप्त नही कर सकता है । इसलिए जैरवाद भूमि की जमाबन्दी में वादी अपना नाम रामकुमार पुत्र रोशनलाल साकिन संगरिया के स्थान पर रामकुमार पुत्र. रोशनलाल उर्फ बीरबल साकिन संगरिया हाल सलेमगढ तहसील बालसमन्द जिला हिसार हरियाणा दुरूस्त करवाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पेरोकार राज उपस्थित हुये। पेरोकार राज ने अपना जबाब दावा पेश कर वादी के नाम दुरूस्त में कोई आपत्ति पेश नही की गई। साक्ष्य जिसमें वादी एवं गवाह जयपाल सिंह ,विष्णु राम द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये तथा तथा दस्तावैजी साक्ष्य में सरपंच का प्रमाण-पत्र , आधार कार्ड प्रस्तुत किये गया।

वादी की बहस सुनी गई । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावैजो के आधार पर वादी के निवेदन करते हुये बताया कि जैरवाद रकबा एवं सार्वजनिक दस्तावैजो में वादी के नाम में एकरूपता नही है । जमाबन्दी में वादी का नाम रामकुमार पुत्र रोशनलाल साकिन संगरिया दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावैजो में वादी का नाम रामकुमार पुत्र बीरबल साकिन सलेमगढ तहसील बालसमन्द जिला हिसार हरियाणा दर्ज है । इसलिए वादी जैरवाद रकबा में नाम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया ।

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के उपरान्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया गया वादी के नाम जमाबन्दी में रामकुमार पुत्र रोशनलाल साकिन संगरिया दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावैजो में वादी का नाम रामकुमार पुत्र बीरबल साकिन सलेमगढ तहसील बालसमन्द जिला हिसार हरियाणा दर्ज है। जमाबन्दी और अन्य दस्तावैजो में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को सरकारी सहायता मिलने से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए वादी का नाम संशोधित किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि वाके चक 2 डी ओ बी पटवार हल्का भोपालपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 34/29 के प0न0 24/13 मु0न0 24 के किला न0 14 ता 18/1.265 है0 22/1 में 0.025 है0 खाला, 22/3 में 0.203 है0 क0, 23/1 में 0.228 है0 क0, 24/1 में 0.228 है0 क0 = 1.949 है0 कमाण्ड मय खाला , प0न0 24/20 मु0न0 8 के किला न0 19-21/0.506 है0 , प0न0 24/21 मु0न0 25 के किला न0 6-7/0.506 है0 कुल 2.961 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में 269/987 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 2 डी ओ बी पटवार हल्का भोपालपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 35/30 के प0न0 24/12 मु0न0 9 के किला न0 24/0.253 है0 , 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 खाला = 0.506 है0 कमाण्ड मय खाला , प0न0 24/13 मु0न0 24 के किला न0 2 ता 9, 12-13/2.530 है0 क0, प0न0 24/12 मु0न0 27 के किला न0 3/0.253 है0 क0, प0न0 24/21 मु0न0 25 के किला न0 1/0.253 है0 क0 कुल 3.542 हे0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में 482/1771 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का नाम रामकुमार पुत्र रोशनलाल उर्फ बीरबल राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:49 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

अनवान :

रामकुमार पुत्र श्री रोशनलाल उर्फ बीरबल जाति कुम्हार साकिन संगरिया हाल निवास सलेमगढ तहसील बालसमन्द जिला हिसार हरियाणा ---- वादी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

--- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 आर.टी.ए. मुकदमा न0 104 वर्ष 2025 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक रामनारायण जालप वादी राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

चक 2 डी ओ बी पटवार हल्का भोपालपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 34/29 के मु0न0 24/13 मु0न0 24 के किला न0 14 ता 18/1.265 है0 22/1 में 0.025 है0 खाला, 22/3 में 0.203 है0 क0, 23/1 में 0.228 है0 क0, 24/1 में 0.228 है0 क0 = 1.949 है0 कमाण्ड मय खाला, प0न0 24/20 मु0न0 8 के किला न0 19–21/0.506 है0, प0न0 24/21 मु0न0 25 के किला न0 6–7/0.506 है0 कुल 2.961 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में 269/987 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 2 डी ओ बी पटवार हल्का भोपालपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 35/30 के प0न0 24/12 मु0न0 9 के किला न0 24/0.253 है0, 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 खाला = 0.506 है0 कमाण्ड मय खाला, प0न0 24/13 मु0न0 24 के किला न0 2 ता 9, 12–13/2.530 है0 क0, प0न0 24/12 मु0न0 27 के किला न0 3/0.253 है0 क0, प0न0 24/21 मु0न0 25 के किला न0 1/0.253 है0 क0 कुल 3.542 हे0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में 482/1771 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का नाम रामकुमार पुत्र रोशनलाल उर्फ बीरबल राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×......खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×......फसदो की पालना......×........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26/12.2025 को जारी की गई ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)